

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अप्रैल 2018—वैशाख 3, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्र. एफ 24-6-2017-एक 10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जे. के. जैन की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 12 जून 2017 के अंक में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2017 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में शब्द “तीन माह के भीतर” के स्थान पर शब्द “11-05-2018 तक” स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.